6.25 प्रतिशत संपत्तिकर छूट का लाभ ले रहे है लोग

भिलाईनगर। संपत्तिकर जमा करने पर अभी 6.25 प्रतिशत छूट प्राप्त करने के लिए नगर निगम भिलाई के काउन्टर में अच्छी भीड़ हो रही है। बहुत सारे जागरूक नागरिक वर्ष 2025–26 का संपत्तिकर जमा करने के लिए नगर निगम भिलाई के काउंटर पर पहुंच रहे है। इसके साथ ही जो नागरिक वर्ष 2024–25 का संपत्तिकर जमा नहीं किए है। उनको 18 प्रतिशत अधिभार एवं 1000 रूपये पेनाल्टी शुल्क जमा नहीं करने का लाभ मिल रहा है, 30 अप्रेल तक ही छूट प्राप्त होगा। नागरिको की सुविधा के लिए अवकाश के अवधि में नगर निगम भिलाई के मुख्य कार्यालय एवं जोन कार्यालय के संपत्तिकर काउंटर खुले रहेगें। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने क्षेत्र के नागरिकों से अपील किए है कि जो भी मकान, दुकान मालिक है और जिनके द्वारा संपत्तिकर की राशि अभी तक जमा नहीं किए है। वे सभी नागरिक जल्द से जल्द अपना बकाया संपत्तिकर की राशि समय अवधि में निगम के संपत्तिकर काउंटर पर जमा कर दें। जिससे उनके बकाया करों पर लगाने वाले अतिरिक्त अधिभार से बचा जा सकें। साथ ही वित्तीय वर्ष का संपत्तिकर जमा कर 6.25 प्रतिशत छूट का लाभ भी ले सकते है। वसूली एजेंसी के कर्मचारी घर पर भी जाकर संपत्तिकर प्राप्त कर रहे है। उन्हे भी दिया जा सकता है, उनके द्वारा रसीद प्रदान की जायेगी। नागरिको के सुविधा के लिए घर बैठे संपत्तिकर जमा करने के लिए आनलाईन https://Chhattishgarhmunicipal.com/nagarnigam/citizen/ में संपत्तिकर बटन पर क्लीक करने पर संपत्तिकर में रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर ओटीपी आयेगा, ओटीपी डालने पर संपत्तिकर का विवरण, डिमांड नोट आदि की जानकारी प्राप्त होगी। भुगतान में क्लीक करने पर विकल्प के रूप में क्रेडिट, डेबिट, नेटबैंकिग, यूपीआई पूछा जायेगा, जिस पर क्लीक करने पर भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होगी। साथ ही वेबसाईट से ही भुगतान की रसीद जनरेट होगी, जिसे भवन मालिक प्रिंटकर सुरक्षित रख सकते है।